कार्यालय मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन), मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

दूरभाष एवं फैक्स नं0 0755-2674354 Email: apccfproduction@gmail.com

क्रमांक/निर्वर्तन/101 भोपाल, दिनांक: 11/01/2013

प्रति,

समस्त, मुख्य वन संरक्षक एवं पदेन वन संरक्षक (क्षेत्रीय)

म0प्र0

विषय:- घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय ठेकेदारों/संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान सुविधा के व्यय का निर्धारण।

संदर्भ:- इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/निर्वर्तन/2312 दिनांक 09-06-2009

वनोपाज के घोष विक्रय एवं निविदाओं के समय आने वाले ठेकेदारों/संविदाकारों को दिये जाने वाले जलपान हेतु प्रति नीलाम दिवस के लिए रू 105/- (रूपयें एक सौ पांच) प्रति व्यक्ति के मान से राशि व्यय करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है / इस राशि का व्यय निम्नानुसार मार्गदर्शी निर्देशों के अन्तर्गत किया जावेगा :-

1. नीलाम में विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या का अधिकतम दो गुना व्यक्तियों की संख्या तक व्यय मान्य होगा ।
2. एक क्रेता के द्वारा एक से अधिक मटेरियल लिस्ट क्रय किये जाने पर जलपान की राशि की गणना हेतु एक क्रेता ही माना जाएगा ।
3. नीलाम में विभिन्न प्रजाति की मटेरियल लिस्ट पृथक-पृथक विक्रय की जाने की स्थिति में अधिकतम विक्रय की गई मटेरियल लिस्ट की संख्या के आधार पर ही जलपान व्यय मान्य होगा ।
4. सामान्यत: नीलाम की कार्यवाही प्रात: 9 बजे से सायं तक चलती है अत: उक्त राशि में क्रेताओं को यथासंभव एक समय का भोजन उपलब्ध कराया जाना वांछनीय है ।
5. ये दरें इस आदेश के जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगी ।
6. उपरोक्त दरें अधिकतम है । स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर इसमें मितव्ययता करने के पूर्ण प्रयास किये जावें ।

कृपया उपरोक्त निर्देशों के अनुसार नीलामों में जलपान व्यवस्था की जावे ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल

पृ.क्रमांक/निर्वर्तन/102 भोपाल, दिनांक 11/01/2013

प्रतिलिपि:-

1/ प्रमुख सचिव म0प्र0 शासन वन विभाग भोपाल ।

2/ महालेखाकार, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

3/ संचालक, मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड भोपाल ।

4/ मुख्य वन संरक्षक एवं विक्रय अधिकारी म0प्र0 वन, नई दिल्ली ए-9 (द्वितीय तल) राजनारायण मार्ग, सिविल लाईन-19 दिल्ली-54

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (उत्पादन)
म0प्र0 भोपाल